माधोसिंह पुत्र जयसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम रावरा तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 30 अक्टूबर 2024 राजस्व वाद संख्या 59/2023 माधोसिंह बनाम राजस्थान सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 06 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2023 माधोसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 27 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव रावरा, तहसील बाप में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 207 वर्तमान खसरा नं. 311/207 रकबा 103.4942 हैक्टेयर में सें 45 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि को अपनी आवंटन सुदा भी बताते हुए उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। ग्राम रावरा के मूल खसरा नं. 207 वर्तमान खसरा नं. 311/207 रकबा 103.4942 हैक्टेयर भूमि में सें 45 बीघा भूमि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 10.09.1968 को आवंटित की। यह निर्विवाद तथ्य विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध थे, इस कारण विचारण न्यायालय को आंवटन आदेश की पालना में कानूनन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज कर दिया। वादी का वाद माफिक आवंटन आदेश डिक्री योग्य है। राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि खसरा नं. 311/207 में सें 45 बीघा भूमि दिनांक 10.09.1968 को मिसल नंबर 253/68 से आवंटित हुई है। इस कारण विचारण न्यायालय के पास में इकबालिया जवाब आने के कारण वाद को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, फिर भी वाद को खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में तीन तनकीयात कायम किये लेकिन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तनकीवार नहीं किया है। कानूनन नियमित वाद में अगर तनकीयात कायम कर दिये है तो निर्णय भी तनकीवार किया जाने का आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना न करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में आवंटन आदेश मिसल नंबर 253/68 को माना है कि भूमि आवंटित हो रखी है। तहसीलदार बाप की मौका रिपोर्ट अनुसार भी वादी द्वारा मकान, बाड़ा, तारबंदी, धोरापाली कर कब्जा किया हुआ है। उक्त कब्जा वादीगण द्वारा खातेदार काश्तकार के रूप में किया गया है, न कि अतिक्रमी के रूप में। विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज होने के आधार पर सरसरी दृष्टि से वादी के वाद को खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम व आंवटन नियमों के अनुसार पुराने काबिज काश्त व्यक्ति एवं आवंटन हो चुकी भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का कार्य राजस्व कर्मचारियों का है। वादी सन् 1968 से लेकर आज दिन तक आवंटित भूमि पर काबिज है व काश्त निरंतर करते आ रहे है। वादी कानूनन खातेदार काश्तकार है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल से राजस्व रेकर्ड में आवंटन आदेश की पालना नहीं हुई है। इस कारण वादी को यह घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में पेश करना पड़ा था। इस वाद का मुख्य बिंदु गुणावगुण पर यह था कि खसरा नं. 311/207 ग्राम रावरा में सें 45 बीघा भूमि वादी को आवंटित हो चुकी थ। उस आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण वादी के नाम दर्ज करना था। विचारण न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश को विधिसम्मत मानते हुए भी वाद खारिज कर दिया जो किसी भी सूरत में समर्थन करने योग्य नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2024 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का वाद स्वीकार कर ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नं. 311/207 रकबा 103.4942 हैक्टेयर मे सें 45 बीघा भूमि आंवटन मिसल नंबर 253/68 के माफिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी अपीलार्थी/वादी की आंवटित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1296, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 814, आर.आर.टी. पेज 2005(2) पेज 1362, आर.आर.टी. 2014-21015(सप्ली.) पेज 731, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 921, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 538, आर.आर.डी. 1999 पेज 128 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलांट्स के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श-1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मिसल संख्या 253/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये तहसीलदार फलोदी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 206 में से रकबा 45 बीघा वादी/अपीलांट माधोसिंह पुत्र जयसिंह कौम राजपूत निवासी- रावरा के नाम संवतः 2022 से खातेदारी/गैर खातेदारी बाद वसूली नामांतकरण दर्ज करने की स्वीकृति दिये जाने के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी तहसीलदार बाप द्वारा अपने जवाब में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उक्त भूमि वादी को मिसल संख्या 253/68 दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10.09.1968 के जरिये आवंटन सुदा भूमि है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.07.2023 में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 207 वर्तमान खसरा नंबर 311/207 में 45 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बताया गया है। 2024(2)आर.आर.टी. 1296 में माननीय मण्डल की खण्ड-पीठ ने यह धारित किया है कि आवंटित भूमि में पक्षकारान् के कब्जे-काश्त को नकारा नहीं जा सकता है। आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात पक्षकार खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त करने का हकदार है। हस्तगत मामले में वादग्रस्त आराजी में मौके पर वादी की पुरानी ढाणी मय टांका बना होने तथा वादग्रस्त आराजी के चारों ओर तारबंदी की हुई होने का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी तय करते हुए निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई है:-

01. आया वादी ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरागांव तहसील बाप, जिला फलोदी के खसरा नं. 207 वर्तमान खसरा नं. 311/207 रकबा 103.4942 हैक्टेयर में सें रकबा 45 बीघा माफिक आंवटन मिसल नंबर 253/68 दिनांक 10.09.1968 के अनुसार खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी....

02. आया वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करवाने के अधिकारी है कि वादी के आवंटन अनुसार उक्त भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्त में दखलंदाजी न तो प्रतिवादी स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे?

जिम्मे वादी.....

03. आया प्रतिवादी उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज है, वादी द्वारा उक्त भूमि पर मकान, बाड़ा, तारबंदी व धोरापाली इत्यादि बना कर कब्जा किया हुआ है, जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है?

जिम्मे प्रतिवादी.....

दादरसी?

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर किये बिना तथा विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवचेन नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप अपीलांट्स अवसर प्रदान किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये,पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 59/2023 माधोसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 30 अक्टूबर 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण मे विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर